सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा :.सं . NCST/DEV-3524/UP/13/2024-ESDW-RU-IV दिनांक: 30.04.2025

सेवा मे,

जिलाधिकारी,
जिला-सोनभद्र
डीएम कार्यालय, लोधी,
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश-231216
E.mail´ dmson@nic.in

विषय: गरीब असहाय आदिवासी विधवा महिला श्रीमती राजकुमारी कुवंर, ग्रामकुड़वा-, थानाकोन-, जिला-श्री रामचन्द्र केशरी -की भूमि पर जबरदस्ती कब्जा किए जाने के संबंध में (उत्तर प्रदेश) सोनभद्र, पूर्व मंत्री (संसदीय कार्य और जल मंत्रालय), रांची के दिनांक (झारखण्ड)28.08.2024 का पत्र / अभ्यावेदन

महोदय,

उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीय सदस्य डॉ आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 17.04.2025 को आयोग मे हुई सिटिंग के कार्यवृत्त की प्रति संलग्न कर आपको सूचनार्थ प्रेषित है।

भवदीय

(एच.आर .मीना/H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/Research Officer
Email ID : rahul.1424@ncst.nic.in

प्रति सूचनार्थ:

श्री उमेश गोंड
ग्राम – कुडवा
थाना – कोन, जिला – सोनभद्र
उत्तर प्रदेश – 8102350240

(ii) PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)
(iii) NIC for uploading

सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

NCST/DEV-3524/UP/13/2024-ESDW (Old file no. NCST-02/0Land/4/2021 - ESDW)

श्री रामचन्द्र केशरी, पूर्व मंत्री (संसदीय कार्य और जल मंत्रालय), रांची (झारखण्ड) के दिनांक 28.08.2024 का पत्र/अभ्यावेदन। मोबाइल नंबर : 9431114930 के अभ्यावेदन के सम्बन्ध में दिनांक 17.04.2025 को आयोग मुख्यालय में आयोग की माननीय सदस्य (डॉ आशा लकड़ा) की अध्यक्षता में हुई सिटिंग/ सुनवाई का कार्यवृत।

सिटिंग/ सुनवाई की दिनांक	:	17.04.2025
सिटिंग में उपस्थित प्रतिभागी	:	**अनुलग्नक-I** के अनुसार।

श्री उमेश गोड़, निवासी ग्राम कुड़वा, सोनभद्र, ने शिकायत की कि उनके दादा के नाम पर गोपाल जयसवाल ने फर्जी तरीके से भूमि हड़प ली। जब उनकी माँ ने मकान निर्माण को रोकने की कोशिश की, तो गोपाल ने उन्हें गाली दी और मारने के लिए दौड़ाया। पुलिस में शिकायत के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उनकी माँ ने झारखंड के पूर्व मंत्री रामचंद्र केशरी से मदद ली, जिन्होंने केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा के माध्यम से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और जिला अधिकारी को पत्र लिखवाए। इसके बाद, धमकियों के कारण वे गांव छोड़कर बाहर रहने लगे।

2. मामला राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को भेजा गया, और जिला अधिकारी ने 26 फरवरी 2022 को सुनवाई के बाद एक माह में नोटिस जारी करने का आदेश दिया। हालांकि, अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, जबकि मुख्यमंत्री के आवास से बार-बार पूछा जा रहा है कि कार्रवाई कब होगी। उन्हें आयोग से न्याय की उम्मीद है।

3. आयोग द्वारा मामले में जिला कलेक्टर, सोनभद्र, उत्तर प्रदेश को नोटिस दिनांक 27.09.2021 भेजा गया।

4. दिनांक 17.04.2025 को आयोग मुख्यालय में सुनवाई दौरान सम्बन्धित तहसीलदार जिलाधिकारी के स्थान पर आयोग में उपस्थित रहे जिन्होंने बताया की मामले का सफलता पूर्वक निपटान किया जा चुका है। तहसीलदार ने बताया की भूमि की नापी करवा के प्रार्थी को उसकी भूमि दिलवा दी गई है।

5. मामले की सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्नलिखित अनुशंसाएं की जाती है :-

   1. सुनवाई के दौरान तहसीलदार द्वारा यह बताया गया की मामले का सफलता पूर्वक निपटान किया जा चुका है अत यह मामला आयोग में बंद किया जाता है

आ।आ।ल०
22/04/2025

(डॉ आशा लकड़ा)
सदस्य
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

Dr. Asha Lakra
Member
Government of India
National Commission for Scheduled Tribes
New Delhi

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

(File No. NCST/DEV-3524/UP/13/2024-ESDW)

ATTENDANCE SHEET

Sub: Sitting to be held on 17.04.2025 at 03:20 P.M. in the case of श्री उमेश गोंड, जिलासोनभद्र-, उत्तर प्रदेश। गरीब असहाय आदिवासी विधवा महिला की भूमि पर जबरदस्ती कब्ज़ा किए जाने के संबंध में।

Sr. No.	Department	Contact details	Signature
I	**National Commission for Scheduled Tribes**		
1.	Dr. Asha Lakra, Hon'ble Member		**In Chair**
2.	Shri Yogendra Prasad Yadav, Deputy Secretary		
3.	Shri H. R. Meena, Research Officer		
4.	Shri Rahul, Investigator		
5.	Shri Rahul Yadav, Consultant (Legal)		
II	**जिला-सोनभद्र, उत्तर प्रदेश**		
1.	सुशील कुमार तहसीलदार ओबरा		
2.			
3.			
4.			
III	**अभ्यावेदक**		
1.	Absent		
2.			